

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3075
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम के बकाया ऋण और देयताएं

†3075. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

डॉ. नामदेव किरसान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30-10-25 की स्थिति के अनुसार वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कुल बकाया ऋण और देयताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और डिस्कॉम-वार व्यवहार्यता की स्थिति क्या है;

(ग) कितनी डिस्कॉम ने घाटे में कमी लाने के लिए 'उदय' के लक्ष्यों को पूरा किया है; और

(घ) सरकार द्वारा डिस्कॉम के घाटे और राजस्व तथा लागत के बीच के अंतर को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति अनुसार विद्युत खरीद के लिए बकाया ऋण और देयता राशि का राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-I और II पर है। विद्युत खरीद के लिए देय राशि 132 दिनों के स्तर (वित्त वर्ष 24) से घटकर 120 दिनों के स्तर (वित्त वर्ष 25 (अनंतिम) हो गई है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक कंपनियों (आईपीपी, सीपीएसई और नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता) व्यापारियों और ट्रांसको का पुराना बकाया मार्च 2024 में 44,701 करोड़ रुपये से घटकर मार्च 2025 में 18,857 करोड़ रुपये हो गया है।

(ख) और (ग) : दक्षता में सुधार और वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम के प्रचालन और वित्तीय बदलाव के समग्र उद्देश्य के साथ उदय योजना की शुरुआत की गई थी। यह

मानते हुए कि राज्य स्वामित्व वाली डिस्कॉम की देयताएं स्वयं राज्य की आकस्मिक देयताएं हैं, दिनांक 30.09.2015 के अनुसार डिस्कॉम के ऋण का 75% से अधिक का भार अपने ऊपर लेने वाले राज्यों को उदय योजना में शामिल किया गया है। उदय के तहत राज्यों और डिस्कॉमों की भागीदारी और अन्य दक्षता उपायों के परिणामस्वरूप, एटीएंडसी हानियां वित्त वर्ष 2016 में 23.70% से घटकर वित्त वर्ष 20 में 20.78% हो गईं। डिस्कॉम-वार लक्ष्य और एटीएंडसी हानि की उपलब्धि **अनुबंध-III** पर है।

(घ) : भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य वितरण यूटिलिटी के निष्पादन के सुधार में उनकी सहायता कर रही है। वितरण यूटिलिटी की व्यवहार्यता में सुधार के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई थी। स्कीम के तहत अपने निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने वाले राज्यों/वितरण यूटिलिटी को निधियां जारी की जाती हैं।
- राज्य सरकारों को निष्पादन संबद्ध जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है।
- राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण की मंजूरी के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड अनिवार्य किए गए हैं।
- ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिम्बित टैरिफ को लागू करने के लिए नियम बनाए गए हैं, ताकि विद्युत की आपूर्ति पर होने वाले सभी उचित व्यय टैरिफ में शामिल किए जा सकें।
- उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए जारी नियम और मानक संचालन प्रक्रिया।

राज्य/वितरण यूटिलिटी सुधारों को कार्यान्वित कर रही हैं तथा केंद्र और राज्य सरकारों/वितरण यूटिलिटी के बेहतर प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर एटीएंडसी हानियां वित्त वर्ष 2021 में 21.9% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 16.16% हो गई हैं तथा एसीएस-एआरआर अंतर वित्त वर्ष 21 में 0.69/केडबल्यूएच से घटकर वित्त वर्ष 25 में 0.11/ केडबल्यूएच हो गया है।

राज्य-वार बकाया ऋण (करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2024-25
आंध्र प्रदेश	77,600
असम	1,131
बिहार	14,002
छत्तीसगढ़	5,428
गुजरात	258
हरियाणा	20,311
हिमाचल प्रदेश	7,024
झारखंड	22,381
कर्नाटक	47,993
केरल	17,638
मध्य प्रदेश	49,239
महाराष्ट्र	90,659
मणिपुर	745
मेघालय	1,474
पंजाब	17,411
राजस्थान	98,488
तमिलनाडु	1,88,411*
तेलंगाना	59,230
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	61,395
उत्तराखंड	1,729
पश्चिम बंगाल	15,279
निजी क्षेत्र	7,595
कुल	8,05,422

*: डेटा में टेनजेडको (तमिलनाडु) के पिछले वर्ष के आंकड़े भी शामिल हैं, जिसे हाल ही में 3 कंपनियों में बांटा गया है, जिनमें से एक टीएनपीडीसीएल (तमिलनाडु की वितरण कंपनी) है। यदि सिर्फ़ टीएनपीडीसीएल के बकाया ऋण अर्थात् 1,01,782 करोड़ रुपये को ध्यान में रखें, तो राष्ट्रीय स्तर पर कुल बकाया ऋण 7,18,793 करोड़ रुपये होगा।

विद्युत क्रय हेतु राज्य-वार देयताएं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	देयताएं (दिन)	
	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार
आंध्र प्रदेश	105	105
असम	41	62
बिहार	109	97
छत्तीसगढ़	108	82
दिल्ली	277	389
गुजरात	3	4
हरियाणा	38	46
हिमाचल प्रदेश	71	80
झारखंड	420	384
कर्नाटक	177	152
केरल	95	69
मध्य प्रदेश	211	208
महाराष्ट्र	104	111
मणिपुर	76	74
मेघालय	212	193
ओडिशा	54	-
पंजाब	40	45
राजस्थान	63	51
तमिलनाडु	184	78
तेलंगाना	310	295
त्रिपुरा	94	-
उत्तर प्रदेश	153	156
उत्तराखंड	39	61
पश्चिम बंगाल	159	172
अखिल भारत	132	120

डिस्कॉम-वार एटीएंडसी हानि लक्ष्य और उपलब्धि

क्रम सं.	डिस्कॉम	समझौता जापनों के अनुसार उदय के अंतर्गत एटीएंडसी हानि लक्ष्य					उपलब्धि				
		15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
1	अंडमान और निकोबार पीडी	18.61	18.42	16.84	15.50	15	-	-	30.28	23.43	23.34
2	एपीईपीडीसीएल	-	5.46	5.45	5.44	-	7.10	7.48	10.88	18.30	6.64
3	एपीएसपीडीसीएल	-	11.29	11.09	10.89	-	12.03	17.02	16.04	29.76	13.17
4	अरुणाचल पीडी	57.74	52.41	43	39	25	54.58	53.64	51.08	52.53	40.49
5	एपीडीसीएल	22.49	19	17.75	16.1	15	26.02	20.11	17.64	20.19	23.39
6	एनबीपीडीसीएल	40	34	28	20	15	35.73	37.85	30.46	26.97	28.94
7	एसबीपीडीसीएल	44	38	30	22	15	47.87	46.81	35.53	37.81	48.29
8	सीएसपीडीसीएल	21	18.93	18	15	-	22.10	23.87	20.74	24.96	18.46
9	डीएनएचपीडीसीएल	-	7.97	7.5	7	-	-	-	6.55	5.45	3.56
10	दमन एवं दीव पीडी	-	10.33	9.32	8.3	-	-	-	17.11	6.19	4.07
11	गोवा पीडी	21.06	18.75	16.59	15	-	19.77	24.33	10.48	17.61	11.41
12	डीजीवीसीएल	9.29	9.24	9.19	9.15	-	10.48	10.20	6.60	5.90	6.22
13	एमजीवीसीएल	16	15.5	15	14.5	-	11.81	11.24	11.73	10.38	11.30
14	पीजीवीसीएल	22	19.66	17.33	15	-	24.71	21.71	19.64	21.21	18.80
15	यूजीवीसीएल	9.82	9.77	9.72	9.67	-	11.53	9.17	9.32	12.01	6.88
16	डीएचबीवीएनएल	26.44	23.10	19.16	15.34	-	26.44	23.10	19.16	15.34	16.37
17	यूएचबीवीएनएल	31.61	25.94	21.64	15.01	-	32.84	30.68	25.38	22.04	20.83
18	एचपीएसईबीएल	13.85	13.5	13	12.75	-	9.68	11.48	11.08	12.46	13.33
19	जेकेपीडीडी	56	46	35	25	15	58.75	59.96	53.67	49.94	60.46
20	जेबीवीएनएल	35	28	22	15	-	33.34	40.83	44.72	28.33	37.13
21	बेसकॉम	16.76	12.94	14.61	14.36	14.08	13.88	14.91	13.17	15.79	17.91
22	चेसकॉम	16.2	15.16	14.74	14.5	-	13.60	19.31	13.20	19.91	21.65
23	गेसकॉम	20.65	17.75	16.67	15	-	18.00	17.86	16.39	27.38	17.87
24	हेसकॉम	18.1	17.68	17.02	15	-	27.63	18.35	22.84	24.88	15.31
25	मेसकॉम	12.99	12.55	11.79	11.7	-	12.71	19.47	14.23	18.12	15.33
26	केएसईबीएल	11.57	11.45	11.23	11	-	12.40	13.42	12.81	9.10	13.12
27	लक्षद्वीप ईडी	-	13.9	10.32	10	-	-	-	19.15	26.82	13.69
28	एमपीएमएकेवीवीसीएल	28.65	22.09	19.19	17.2	15	31.09	34.29	39.00	45.02	37.17
29	एमपीपीएकेवीवीसीएल	22.38	20.4	18.41	16.27	15	25.06	19.08	18.69	25.28	20.94
30	एमपीपीओकेवीवीसीएल	22.65	19.72	17.73	15.59	15	26.10	28.00	34.84	40.38	33.89
31	एमएसईडीसीएल	17.31	16.74	15.61	14.39	-	21.74	22.84	14.38	16.23	19.80
32	एमएसपीडीसीएल	44.2	25.15	18.7	15	-	31.72	33.01	27.46	25.26	23.30

33	एमईपीडीसीएल	36.5	32.51	27.5	21.5	15	45.98	38.81	41.19	35.22	31.67
34	मिजोरम पीडी	32.17	27.38	23.76	20.3	15	35.18	24.98	16.16	16.20	20.66
35	नागालैंड पीडी	-	70	39	32	24	33.44	38.50	41.36	65.73	64.79
36	पुदुचेरी पीडी	19.88	19	15	12	-	22.43	21.34	19.19	19.77	18.45
37	पीएसपीसीएल	16.16	15.30	14.50	14	-	15.88	14.46	17.31	11.28	14.35
38	एवीवीएनएल	24	20	17.5	15	-	27.66	25.19	23.14	23.37	22.08
39	जेडीवीवीएनएल	22.4	18	16.5	15	-	29.67	26.17	23.49	35.20	38.26
40	जेवीवीएनएल	28	22	18.5	15	-	35.87	29.79	25.19	25.73	27.83
41	सिक्किम पीडी	37.13	29.5	25.94	15	-	43.89	35.62	32.48	41.83	28.77
42	टेनेजडको	14.58	14.06	13.79	13.5	-	16.83	18.23	19.47	17.86	15.00
43	टीएसएनपीडीसीएल	-	11.90	10.95	10	-	17.41	16.19	24.74	28.63	35.26
44	टीएसएसपीडीसीएल	-	12.68	11.3	9.9	-	12.64	14.77	17.16	13.79	15.57
45	टीएसईसीएल	33.8	30	25	20	15	32.68	28.95	30.04	38.03	35.71
46	डीवीवीएनएल	35.94	30.3	24.83	20.44	15.35	43.13	40.62	38.89	37.12	39.75
47	केस्को	35.25	29.44	24.11	19.37	14.45	28.16	25.10	22.52	16.49	15.49
48	एमवीवीएनएल	33.13	27.8	23.2	19.45	14.89	44.58	47.27	45.29	40.62	34.14
49	पीएवीवीएनएल	24.63	22.99	20.63	17.53	14.01	27.12	29.73	25.97	22.27	18.64
50	पीयूवीवीएनएल	38.87	34.19	26.92	20.65	15.49	51.14	53.19	47.89	39.64	34.24
51	यूपीसीएल	17	16	15	14.5	-	18.01	16.68	16.34	17.45	20.35
